

दिनांक 16 फरवरी, 1989 को प्रातः 11.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा - जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

- |     |                       |                    |
|-----|-----------------------|--------------------|
| 1.  | डा. के. एन. नाग       | ॥ अध्यक्ष ॥        |
| 2.  | श्री एम. एल. मेहता    |                    |
| 3.  | श्री शिवनाथसिंह कपूर  |                    |
| 4.  | डा. आर. सी. मेहता     |                    |
| 5.  | डा. एस. एन. सक्सेना   |                    |
| 6.  | डा. एस. एस. आचार्य    |                    |
| 7.  | डा. सी. एन. मेहरोत्रा |                    |
| 8.  | डा. एन. एल. अग्रवाल   |                    |
| 9.  | श्री खुशहाल सिंह      | ॥ सदस्य सचिव ॥     |
| 10. | श्री वी. एस. उज्वल    | ॥ आमंत्रित सदस्य ॥ |
| 11. | श्री के. एस. माधुर    | ॥ आमंत्रित सदस्य ॥ |
| 12. | डा. जे. एस. भाटिया    | ॥ आमंत्रित सदस्य ॥ |

डा. पी. डी. शर्मा ने अपनेपत्र द्वारा सूचित किया कि वह गृह मंत्रालय, भारत सरकार में एक बैठक के संबंध में व्यस्त होने से इस बैठक में भाग लेने में अपनी अक्षमता प्रकट की। श्री हनुमान प्रसाद, सचिव, पशु पालन विभाग ने भी अपनी अक्षमता प्रकट की।

राकृवि/प्रबो-9/ दिनांक 28 जनवरी 1989 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार किया गया।  
89-2/116.

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न टिप्पणियों के साथ की जाय।

अ॥ मद संख्या 104 में जीव रसायन विभाग के सह आचार्य के पद पर वरीयता क्रम संख्या 2 पर श्री विनोद शर्मा के नाम के स्थान पर डा. विमल शर्मा पढ़ा जाय।

ब॥ मद संख्या 115 जो कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति व कार्य एवं प्रकार्य ॥ ड्यूटीज़ एण्ड फंक्शन्स ॥ के संबंध में है पर सदस्यों ने पुनः विचार/चर्चा की और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 9॥4॥ के अन्तर्गत नियुक्ति कुलपति करने में सक्षम है अतः सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति उपरोक्त धारा के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति विभागाध्यक्षों की कार्य एवं प्रकार्य ॥ ड्यूटीज़ एवं फंक्शन्स ॥ राज्य सरकार को प्रेषित स्टेट्यूट्स में संशोधनों के आधार पर निर्धारित करे।

राकृवि/प्रबो-9/  
89-2/117. प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.1.1989 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया।  
निर्णय लिया गया कि क्रियान्विति को आलोकित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-9/  
89-2/118. कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों को अनुमोदित करने पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-9/  
89-2/119. मानद उपाधिया प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

कुलपति ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 6 फरवरी, 1989 को अधिकृत समिति की बैठक में डा. एम. एन. स्वामीनाथन, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व भूतपूर्व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र मनीला और प्रो. महेश्वर दयाल, सचिव, अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत, भारता सरकार, नई दिल्ली को विज्ञान महाविज्ञ की मानद उपाधि से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया है।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय और दिनांक 25.2.1989 को आयोजित विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह में उपरोक्त उपाधिया प्रदान की जाय।

राकृवि/प्रबो-9/  
89-2/120. दिनांक 11.2.89 से 14.2.89 को आयोजित विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि चयन समितियों की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय।

पद नाम	नाम	वरियता	विवरण
सहायक आचार्य कलाधिगण एण्ड टेक्नोलॉजि	कुमारी मीनू सक्सेना		न्यूनतम वेतन
आचार्य, विस्तार शिक्षा	डा. सत्य नारायण मुन्दड़ा		वि. वि. नियमानुसार
सहायक आचार्य सिस्टम इंजिनिरिंग कम्प्यूटर	श्री पोखरमल जाट		न्यूनतम
सहायक आचार्य ग्रामीण तंत्रज्ञान शास्त्र	डा. [श्रीमती] सुनीला गुप्ता		न्यूनतम

1.	2.	3.	4.
सह आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र	डा. श्री किशन महावीर सोहम	1.	वि. वि. नियमानुसार
सहायक आचार्य कृषि अर्थशास्त्र	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	1	न्यूनतम्
	श्री बृजन लाल शर्मा	2	वि. वि. नियमानुसार
	डा. राजेश शर्मा	3	" "
	श्री आर. सो. शर्मा	4	" "
	कु. सुनिता वर्मा	5	न्यूनतम्
	डा. श्री मधु सिंह	6	न्यूनतम्
	श्री प्रदीप कुमार	7	वि. वि. नियमानुसार
	डा. नरेन्द्र कुमार सिंह	8	न्यूनतम्
	डा. रविन्द्र शर्मा	9	न्यूनतम्
	श्री राजवीर सिंह पन्नु	10	न्यूनतम्
	श्री सज्जन सिंह झोबा	11	वि. वि. नियमानुसार
	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	12	" "
सहायक आचार्य प्रोत्साहन व पूह इंजिनियरिंग	श्री संजय कुमार जैन	1	वि. वि. नियमानुसार
	श्री विशम्भर दयाल मुद्गल	2	न्यूनतम्
सह आचार्य विस्तार शिक्षा	डा. दिलीप कुमार सुजान	1	न्यूनतम्
	डा. पी. एन. कल्ला	2	वि. वि. नियमानुसार
	श्री वी. पी. शर्मा	3	" "
सहायक आचार्य विस्तार शिक्षा	श्री जगदीशप्रसाद लखेरा	1	वि. वि. नियमानुसार व वेतन श्रृंखला का न्यूनतम्
	श्री सुरेश कृष्ण शर्मा	2	" "
	डा. शिव दयाल धाकड़	3	" "
	डा. शिव नारायण ओझा	4	" "
	डा. मलिकान सिंह चौहान	5	वर्तमान मूल वेतन संरक्षित किया गया
	श्री गोपाल सिंह बांगड़वा	6	वि. वि. नियमानुसार व वेतन श्रृंखला का न्यूनतम्
	श्री राधेश्याम पाठोदिया	7	" "
	श्री कान सिंह राठोड़	8	" "

कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि चार पदों के लिये सुरक्षित सूचियां भी हैं ।

राकृवि/प्रबो-9/  
89-2/121

डा. वी. पी. चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त आचार्य व डा. सुधीर कुमार, कार्यभुक्त, सह आचार्य के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 39 दिनांक 29.2.88 के अन्तर्गत संयुक्त जांच करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन में दर्शाये गई आर्थिक हानि के संबंध में दोनों संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय व पड़्याई गई आर्थिक हानि संबंधित व्यक्तियों से वसूल की जाय ।

